रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032021-226080 CG-DL-E-24032021-226080

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 24, 2021/चैत्र 3, 1943

No. 160] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 24, 2021/CHAITRA 3, 1943

खान मंत्रालय

अधिसुचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2021

सा.का.िन. 209(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज (परमाणु और हाईड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु:—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज (परमाणु और हाईड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत संशोधन नियम, 2021 है।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- 2. खनिज (परमाणु और हाईड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 में नियम 23 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात: —

"23क. कतिपय मामलों में खनन पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए आशय-पत्र का अंतरण –

- (1) खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार खनन पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए नीलामी पर जारी आशय-पत्र को ऐसे मामले में जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि अंतरिती ("अंतरिती") को आशय-पत्र का अंतरण, आशय-पत्र के मूल धारक ("अंतरक") के संबंध में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 13) के उपबंधों के अधीन सक्षम अधिकरण या न्यायालय द्वारा यथास्थिति, दिवाला, समापन या शोधन अक्षमता कार्यवाहियों के निष्कर्ष के परिणामस्वरुप आवश्यक है, इस नियम में विनिर्दिष्ट रीति से अंतरित किया जा सकेगा।
- (2) अंतरिती राज्य सरकार को निम्नलिखित विशिष्टियों के साथ एक आवेदन अर्थात् "अंतरण आवेदन" कर सकेगा ; अर्थात: —

1781 GI/2021 (1)

- (क) पते सहित अंतरिती का ब्यौरा;
- (ख) ऐसे अंतरण से संबंधित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के उपबंधों के अधीन सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के अनुमोदन का विवरण तथा प्रमाणित प्रति;
- (ग) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसे आशय-पत्र और तत्पश्चात खनन पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति के धारक होने के लिए अंतरिती की अर्हता संबंधी विवरण; और
- (घ) अंतरक को प्रदान की गई आशय-पत्र की प्रति।
- (3) राज्य सरकार उपनियम (2) के अधीन अंतरण आवेदन को प्राप्त करने की तारीख से नब्बे दिन की अविध के भीतर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं ऐसे अंतरण को अनुमोदित या अस्वीकृत करने का अपना निर्णय संसूचित करेगी और यह अंतरण ऐसे अनुमोदन को संसूचित करने की तारिख से प्रभावी होगा:

परन्तु आशय–पत्र का ऐसा कोई अंतरण किसी शर्त के उल्लंघन में नहीं किया जाएगा जिसके अध्यधीन ऐसा आशय-पत्र जारी किया गया था।

- (4) इस नियम के अधीन प्रभावित सभी अंतरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे, अर्थात्: —
- (क) अंतरिती अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार नीलामी में भाग लेने के पात्र है; और
- (ख) अंतरिती ने तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन सभी शर्तों और देयताओं को स्वीकार कर लिया है, जो अंतरक ऐसे आशय-पत्र के संबंध में अध्यधीन था।
- (5) अंतरण की तारीख को और उस से, अंतरिती, अंतरित आशय-पत्र के संबंध में किसी और सभी देयताओं के संबंध में राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा और खनन पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति जैसा भी मामला हो प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी दायित्वों का अनुपालन करेगा।
- (6) राज्य सरकार आशय पत्र के किसी अंतरण के बारे में भारतीय खान ब्यूरो को लिखित में सूचित करेगी।
- (7) राज्य सरकार किसी आशय पत्र या अनुवर्ती खनन पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति को जैसा भी मामला हो लिखित में आदेश द्वारा समाप्त कर सकती है यदि अंतरिती ने, राज्य सरकार की राय में, इस नियम के उपबंधों का उल्लंघन किया है या इस नियम के अनुसार ऐसे आशय-पत्र या उसमें अंतर्निहित किसी अधिकार, स्वामित्व या हित को अंतरित किया है:

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश अंतरिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

फा. सं. 16/31/2019-एम.VI

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उप खंड (i) में सा.का.िन. संख्या 279(अ), तारीख 4 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार सा.का.िन. 191(अ) तारीख 20 मार्च, 2020 के द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF MINES NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2021

- **G.S.R. 209(E).**—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016, namely:—
- **1.** (1) These rules may be called the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession (Amendment) Rules, 2021.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- **2.** In the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016, after rule 23, the following rule shall be inserted, namely:—
- "23A. Transfer of letter of intent for grant of mining lease or composite licence in certain cases.—(1) The letter of intent issued upon auction for grant of mining lease or composite licence in accordance with the provisions of the Mineral (Auction) Rules, 2015 may be transferred in the manner specified in this rule in cases where the State Government is satisfied that such transfer of letter of intent to the transferee (the "transferee") is necessary consequent to conclusion of insolvency, liquidation, or bankruptcy proceedings, as the case may be, in respect of the original holder of the letter of intent (the "transferor") by the competent tribunal or the court under the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016).
- (2) The transferee shall make an application, namely the "transfer application", to the State Government along-with the following particulars, namely:
 - (a) details of the transferee including its address;
 - (b) details and certified copy of the approval of the competent authority or the court under the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 regarding such transfer;
 - (c) details regarding eligibility of the transferee to hold such letter of intent and consequent mining lease or composite licence in accordance with the Act and the rules made thereunder; and
 - (d) copy of the letter of intent granted to the transferor.
- (3) The State Government within a period of ninety days from the date of receiving the transfer application made under sub-rule (2) shall convey its decision to approve or reject such transfer for reasons to be recorded in writing and the transfer shall be effective from the date of conveyance of such approval:

Provided that no such transfer of a letter of intent shall be made in contravention of any condition subject to which such letter of intent was issued.

- (4) All transfers effected under this rule shall be subject to the following conditions, namely:—
 - (a) the transferee is eligible to participate in the auction in accordance with the Act and the rules made thereunder; and
 - (b) the transferee has accepted all the conditions and liabilities under any law for the time being in force which the transferor was subject to in respect of such letter of intent.
- (5) On and from the date of transfer, the transferee shall be liable to the State Government and Central Government with respect to any and all liabilities with respect to the transferred letter of intent and shall continue to comply with all the obligations required for obtaining the mining lease or the composite licence, as the case may be.
- (6) The State Government shall intimate the Indian Bureau of Mines in writing about any transfer of a letter of intent.
- (7) The State Government may, by an order in writing terminate any letter of intent or consequent mining lease or composite licence, as the case may be, at any time if the transferee has, in the opinion of the State Government, committed a breach of any of the provisions of this rule or has transferred such letter of intent or any right, title, or interest therein otherwise than in accordance with this rule:

Provided that no such order shall be made without giving the transferee a reasonable opportunity of being heard.".

[F. No. 16/31/2019-M.VI]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 279(E) dated the 4th March, 2016 and lastly amended *vide* number G.S.R. 191(E), dated the 20th March, 2020.